नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

# नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 324
दि. 27.08.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


## अस्पताल में 24 घंटे में 10 नवजातों की मौत से मचा हड़कंप, अगस्त में 60 मासूमों की जान जाने से उठे गंभीर सवाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नवजात बच्चों की लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 अगस्त को महज 24 घंटे के भीतर 10 नवजातों की मौत की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इससे भी चिंताजनक आंकड़ा यह है कि अगस्त महीने में अब तक अस्पताल में उपचार के दौरान करीब 60 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौतों का यह सिलसिला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पूरे मामले की समीक्षा शुरू कर दी है।

एक साथ इतने नवजातों की मौत की खबर सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था, गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे उपचार, रेफरल व्यवस्था और नवजात देखभाल की सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मृत बच्चों में अधिकांश को बेहद गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम से यहां रेफर किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार कई बच्चों को जन्म के बाद से ही गंभीर बीमारियां और जटिलताएं थीं और उन्हें बचाने के लिए हरसंभव चिकित्सकीय प्रयास किए गए। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मौतों ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार 12 अगस्त को जिन 10 नवजातों की मौत हुई, उनमें आठ बच्चे जिले के दूसरे अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम से गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाए गए थे। इन बच्चों की स्थिति पहले से ही नाजुक बताई गई थी। वहीं, दो नवजातों का जन्म मालदा मेडिकल कॉलेज में ही हुआ था। अस्पताल के अधीक्षक प्रसनजीत बर के अनुसार, मृत बच्चों में चार ऐसे थे जिन्हें जन्म के बाद हृदय संबंधी गंभीर समस्या थी। दो बच्चों को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। बाकी बच्चों में भी अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं थीं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नवजातों की हालत को देखते हुए चिकित्सकीय टीम ने उन्हें बचाने के लिए आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। गंभीर मामलों में बच्चों को विशेष निगरानी और उपचार की आवश्यकता होती है। कई बार दूसरे अस्पतालों से जब बच्चे अत्यंत गंभीर स्थिति में किसी बड़े चिकित्सा केंद्र में पहुंचते हैं तो उन्हें बचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मालदा मेडिकल कॉलेज जिले के

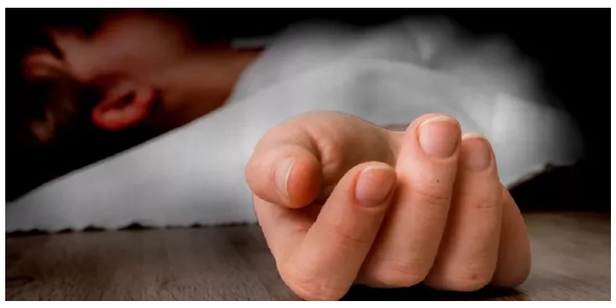

बड़े चिकित्सा केंद्रों में शामिल है और आसपास के क्षेत्रों से गंभीर मरीज यहां रेफर किए जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल में आने वाले गंभीर नवजातों की संख्या भी अधिक रहती है। लेकिन लगातार हो रही मौतों के आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की विस्तृत समीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अगस्त महीने में अब तक मालदा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान करीब 60 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें 44 बच्चे ऐसे थे जिन्हें दूसरे अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम से गंभीर हालत में यहां रेफर किया गया था। वहीं 16 बच्चों का जन्म मालदा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब विभाग यह जानने की कोशिश कर रहा है कि मौतों के पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं और क्या सभी मामलों में बच्चों की स्थिति पहले से गंभीर थी। नवजात शिशुओं के मामले में जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, सांस लेने में परेशानी, संक्रमण, जन्मजात हृदय संबंधी समस्या और अन्य गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसे बच्चों को तत्काल विशेषज्ञ उपचार, नवजात गहन चिकित्सा सुविधा और लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। किसी बड़े अस्पताल में ऐसे गंभीर मामलों की संख्या अधिक होने पर मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हालांकि किसी अस्पताल में एक साथ या कम अवधि में बड़ी संख्या में मौतों की खबर सामने आने पर उपचार व्यवस्था की स्वतंत्र और विस्तृत समीक्षा बेहद जरूरी हो जाती है।

मालदा मेडिकल कॉलेज में सामने आए मामले में फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि बच्चों की मौत के पीछे इलाज में लापरवाही थी या नहीं। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि अधिकांश बच्चे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद ही सामने आएगा। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक मृत नवजात की बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति, दिए गए उपचार, रेफरल की जानकारी और मृत्यु के कारण से संबंधित विवरण मांगा है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल प्रशासन को मृत बच्चों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राथमिक रिपोर्ट भेजे जाने की बात सामने आई है, जबकि पूरी रिपोर्ट जल्द भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाएगा कि मृत बच्चों को अस्पताल कब लाया गया, उनकी हालत कितनी गंभीर थी, उन्हें किस प्रकार का उपचार दिया गया और मृत्यु का चिकित्सकीय कारण क्या था। इसके साथ ही अस्पताल में नवजातों के लिए उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की भी समीक्षा की जा सकती है।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू रेफरल व्यवस्था भी है। जब किसी छोटे अस्पताल या निजी नर्सिंग होम में गंभीर नवजात का उपचार संभव नहीं होता तो उसे बड़े चिकित्सा केंद्र में रेफर किया जाता है। कई बार गंभीर बीमारी से जूझ रहा बच्चा काफी देर बाद बड़े अस्पताल तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों के लिए उसे बचाना बेहद कठिन हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के स्तर पर यह भी देखा जाना जरूरी है कि रेफरल में देरी तो नहीं हुई और गंभीर नवजातों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिली या नहीं।

दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में नवजातों की बढ़ती संख्या के साथ संसाधनों पर दबाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों में सीमित बेड, विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता गंभीर मामलों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी अस्पताल में गंभीर नवजातों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो उपलब्ध सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा।

एक दिन में 10 नवजातों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद स्वाभाविक रूप से बच्चों के परिजनों में भी चिंता और आक्रोश पैदा हो सकता है। नवजात की मौत परिवार के लिए असहनीय त्रासदी होती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि परिजनों को बच्चे की बीमारी, उपचार और मृत्यु के कारण के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए। पारदर्शिता से ही किसी भी तरह के संदेह और अफवाहों को दूर किया जा सकता है। मालदा मेडिकल कॉलेज में अगस्त के दौरान हुई करीब 60 बच्चों की मौत के आंकड़े को केवल संख्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। हर मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। किसी बच्चे की मौत जन्मजात बीमारी के कारण हुई हो सकती है, तो किसी की हालत समय से पहले जन्म लेने के कारण गंभीर रही होगी। किसी बच्चे को गंभीर संक्रमण हो सकता है, जबकि किसी अन्य को हृदय या सांस संबंधी समस्या रही हो सकती है। इसलिए सभी मामलों का मेडिकल ऑडिट किया जाना जरूरी है, ताकि वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले के अन्य अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम में भी निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना भी हो सकता है कि गंभीर नवजातों को किस स्थिति में बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है और रेफरल से पहले उन्हें किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिल रही है। यदि किसी स्तर पर कमी सामने आती है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। नवजात मृत्यु दर किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। इसे कम करने के लिए केवल बड़े अस्पतालों में बेहतर उपचार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य की निगरानी, समय पर प्रसव सुविधा, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, जन्म के तुरंत बाद नवजात की जांच और जरूरत पड़ने पर तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्र में रेफर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इन सुविधाओं की उपलब्धता नवजातों की जान बचाने में निर्णायक हो सकती है।

## मानसून में बढ़ा H1N1 का खतरा, आईएमए ने जारी की एडवाइजरी; बिना सलाह एंटीबायोटिक लेने से बचें

नई दिल्ली। देश में मानसून के साथ इन्फ्लुएंजा ए (H1N1) यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी कर सतर्क रहने को कहा है। आईएमए ने लोगों से अपील की है कि फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें, लेकिन घबराने की भी जरूरत नहीं है। संगठन ने विशेष रूप से एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं का खुद से सेवन करने से बचने की सलाह दी है। चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

आईएमए के अनुसार, मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में H1N1 संक्रमण के मामलों में मौसमी वृद्धि देखने को मिल रही है। मौसम में बदलाव, वातावरण में नमी और लोगों के बीच बंद या भीड़भाड़ वाली जगहों पर संपर्क बढ़ने के कारण श्वसन संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और फ्लू से संबंधित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की है।

आईएमए ने अपनी सलाह में बताया है कि भारत में इस समय H1N1 के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में 1,770 से अधिक लैब से पुष्टि किए गए मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी H1N1 संक्रमण के मामले सामने आने की जानकारी दी गई है। हालांकि मामलों में वृद्धि को देखते हुए सतर्कता जरूरी है, लेकिन आईएमए ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की निगरानी से फिलहाल यह पुष्टि हुई है कि देश में फैल रहा वायरस मौसमी इन्फ्लुएंजा ए (H1N1) ही है। अभी तक वायरस में किसी नए आनुवंशिक बदलाव या ऐसे नए म्यूटेशन का पता नहीं चला है, जिससे मौजूदा स्थिति को किसी नए या असामान्य वायरस के रूप में देखा जाए। यह जानकारी लोगों के लिए राहत देने वाली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य सावधानी फिर भी जरूरी है।

H1N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों में लक्षण हल्के रहते हैं और वे कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर रूप भी ले सकता है। इसलिए लक्षणों की गंभीरता और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आईएमए ने खास तौर पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं लेने से बचने को कहा है। इसका कारण यह है कि H1N1 एक वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वायरल संक्रमण में बिना चिकित्सकीय आवश्यकता एंटीबायोटिक लेना लाभकारी नहीं होता और इसके अनावश्यक इस्तेमाल से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या बढ़ सकती है। इसी तरह एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

## कर्नाटक में वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद ही गाए जाएंगे: डीके शिवकुमार

बेंगलुरु। कर्नाटक में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर राजनीतिक बहस के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अब सरकारी कार्यक्रमों के दौरान 'वंदे मातरम' के केवल शुरुआती दो छंद ही गाए जाएंगे। शिवकुमार ने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और पार्टी की ओर से लिए गए इस फैसले पर कायम रहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

बेंगलुरु में आयोजित इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में शामिल हुए डीके शिवकुमार से 'वंदे मातरम' को लेकर हालिया विवाद पर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उनकी जानकारी के बिना 'वंदे मातरम' का पूरा पाठ गाया गया था। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो छंद ही गाए जाएंगे।

शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय आया है जब 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर सवाल उठाती रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 'वंदे मातरम' के शुरुआती दो छंदों का गायन पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में किया जाएगा।

दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी ने 19 अगस्त को फैसला लिया था कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के छह छंदों में से केवल शुरुआती दो छंद ही गाए

जाएंगे। पार्टी की ओर से यह निर्णय 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में हुए एक विवाद के बाद सामने आया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के कथित अपमान का आरोप लगाया था।

डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप ही काम करेगी। उनके मुताबिक, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस मुद्दे पर सरकार अपने रुख में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है।

'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना 'वंदे मातरम' को लेकर लंबे समय से देश में भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हालांकि, इसके पूरे पाठ और सरकारी अथवा राजनीतिक कार्यक्रमों में इसके गायन को लेकर समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी सामने आती रही है।

कर्नाटक में सामने आया ताजा विवाद इसी व्यापक राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा जहां कांग्रेस के रुख को राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़कर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपने कार्यक्रमों के संचालन और पार्टी के निर्णय से जोड़कर देख रही है।

शिवकुमार ने भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने विचार और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर पार्टी के मौजूदा निर्णय का ही पालन किया जाएगा।

15 अगस्त के कार्यक्रम में पूरा 'वंदे मातरम' गाए जाने को लेकर शिवकुमार ने यह भी कहा कि यह उनकी जानकारी के बिना हुआ था। उनके इस स्पष्टीकरण के बाद अब राज्य सरकार के आगामी सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के केवल दो शुरुआती छंदों के गायन की बात सामने आई है।

इस मुद्दे ने एक बार फिर राष्ट्रगीत, राष्ट्रवाद और राजनीतिक दलों की विचारधारा को लेकर बहस को तेज कर दिया है। भाजपा इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस अपने निर्णय को पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों की निर्धारित परंपरा के अनुरूप बता रही है।

## अहमदाबाद में पोर्शे की रफ्तार का खतरनाक खेल वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कसा शिकंजा

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में लग्जरी पोर्शे कार से कथित तौर पर खतरनाक और बेहद तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कार को सड़क पर तेज गति से दौड़ाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और पोर्शे कार को भी जब्त कर लिया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी चालक पेशे से पायलट बताया जा रहा है। उसके खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस की नजर इस कार पर गई और जांच शुरू की गई।

वायरल वीडियो में पोर्शे कार सड़क पर बेहद तेज गति से दौड़ती नजर आती है। वीडियो में कार की रफ्तार इतनी अधिक दिखाई दे रही है कि सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने वीडियो की जांच के साथ-साथ वाहन की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की और इसके बाद चालक तक पहुंच बनाई।

110 से 300 किमी प्रति घंटे तक रफ्तार का दावा

रिपोर्ट के अनुसार, कार को अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग गति से चलाने का

दावा किया गया है। एक वीडियो में कार की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है, जबकि दूसरे वीडियो को लेकर दावा किया गया कि पोर्शे करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ाई गई। अगर सार्वजनिक सड़क पर इतनी अधिक गति से वाहन चलाया गया है, तो यह न केवल यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसी वजह से पुलिस ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को जांच का आधार बनाया। बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसका संज्ञान लिया। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रही कार की पहचान करने का प्रयास किया। कार के नंबर और अन्य जानकारियों के आधार पर चालक तक पहुंचने के बाद उससे पूछताछ की गई। जांच के बाद पुलिस ने पोर्शे कार को जब्त कर लिया। इसके साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किए गए थे तथा जिस सड़क पर कार चलाई गई, वहां उस समय वास्तविक गति कितनी थी।

पोर्शे जैसी हाई-परफॉर्मेंस कारें बेहद तेज गति से चलने में सक्षम होती हैं, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर वाहन की क्षमता का प्रदर्शन करना दूसरे लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद के इस मामले में भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने यही सवाल खड़ा किया है कि आखिर सार्वजनिक सड़क पर इतनी तेज गति से कार चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। वीडियो में कार की रफ्तार को लेकर किए गए दावों की वास्तविकता पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के साथ कार जब्त कर ली है। अब मामले में वीडियो की सत्यता, उसकी रिकॉर्डिंग की तारीख और स्थान, वाहन की वास्तविक गति तथा चालक द्वारा किए गए कथित यातायात उल्लंघनों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या कार को एक से अधिक बार खतरनाक गति से चलाया गया था और क्या इससे किसी अन्य वाहन या व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित हुई।

## 82 वर्षीय खालिद जहांगीर काजी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, बहन के परिवार की शादी में शामिल होने के लिए मांगी कश्मीर जाने की इजाजत

नई दिल्ली। अमेरिका में रह रहे 82 वर्षीय खालिद जहांगीर काजी ने जम्मू-कश्मीर में अपने परिवार से मिलने और बहन के परिवार में होने वाली शादी में शामिल होने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका पर आगे बढ़ने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है।

काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष दलील रखी कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण समारोह में हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि काजी की उम्र 82 वर्ष है और उनके परिवार के कई सदस्य भी बुजुर्ग हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर की यह यात्रा उनके लिए लंबे समय बाद परिवार से मिलने का महत्वपूर्ण और संभवतः आखिरी अवसर हो सकती है। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि काजी भारत आने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने और देश में रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं।

काजी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और पेशे से चिकित्सक बताए जाते हैं। उनके वकील के अनुसार वह पहले भी भारत आ चुके हैं। इस बार उनकी इच्छा अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत समय बिताने की है। याचिका में इसी मानवीय पहलू को प्रमुखता से रखा गया है। उनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर परिवार के सदस्यों से मिलना उनके लिए विशेष महत्व रखता है और शादी जैसा पारिवारिक अवसर इस मुलाकात का

महत्वपूर्ण कारण है।

मामला इसलिए कानूनी रूप से जटिल है क्योंकि काजी का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड केंद्र सरकार ने मई 2023 में रद्द कर दिया था। सरकार की ओर से उनके खिलाफ पाकिस्तान समर्थक प्रचार में शामिल होने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने जैसे आरोप लगाए गए थे। सरकार ने इस कार्रवाई को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से जोड़ा था। इसके अलावा काजी को विदेशी अधिनियम के तहत ब्लैकलिस्ट किए जाने की बात भी सामने आई थी।

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से भी काजी पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार में शामिल होने का आरोप लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी। सरकार के इसी रुख के कारण काजी के लिए भारत की यात्रा सामान्य विदेशी नागरिक की यात्रा की तरह सरल नहीं रह गई। उनका ओसीआई दर्जा रद्द होने के बाद भारत आने की अनुमति का मामला कानूनी विवाद में बदल गया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि काजी के ओसीआई कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई को लेकर पहले भी अदालत में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुका है। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनका ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने उस समय यह महत्वपूर्ण बात कही थी कि कार्रवाई से पहले काजी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई करने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना जरूरी माना जाता है।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है और यह अपील अभी लंबित है। यानी ओसीआई दर्जे को रद्द किए जाने का मूल विवाद अभी अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच काजी की भारत यात्रा की इच्छा का मामला भी अलग न्यायिक स्तर पर सामने आया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट काजी की भारत आने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत के सामने उनकी मांग है कि उन्हें सीमित अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर जाकर अपने परिवार के विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाए। उनकी ओर से अदालत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि यात्रा का उद्देश्य पूरी तरह पारिवारिक है और वह भारत में रहते हुए किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

सुनवाई के दौरान काजी की ओर से तत्काल आदेश जारी करने का आग्रह किया गया। उनके वकील ने अदालत के सामने यह चिंता रखी कि यदि मामले में फैसला आने में ज्यादा समय लगा तो शादी की तारीख निकल सकती है और काजी अपने परिवार के महत्वपूर्ण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। 82 वर्ष की उम्र को देखते हुए परिवार से मिलने का अवसर उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इसी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए तत्काल राहत की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश जारी करने के बजाय पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुनना जरूरी समझा। पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा और मामले को 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि यदि काजी शादी के बाद पहुंचते हैं तो परिवार उनके पहुंचने पर कोई दूसरा समारोह आयोजित कर सकता है। अदालत की यह टिप्पणी मामले के मानवीय पहलू को देखते हुए महत्वपूर्ण रही, लेकिन फिलहाल काजी को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। मामले में एक तरफ काजी का व्यक्तिगत और पारिवारिक अधिकार सामने है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होगा। किसी विदेशी नागरिक या ओसीआई कार्डधारक की भारत यात्रा को लेकर सरकार के पास सुरक्षा संबंधी अधिकार होते हैं, लेकिन दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं है, बल्कि भारत से जुड़े विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली एक विशेष सुविधा है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार भारत आने और यहां कुछ प्रकार की गतिविधियां करने की अनुमति मिलती है। हालांकि सुरक्षा और कानूनी कारणों से सरकार के पास ओसीआई कार्ड को रद्द करने या संबंधित व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां भी होती हैं। ऐसे मामलों में सरकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा भी संभव है। काजी का मामला इसी व्यापक कानूनी ढांचे के बीच आगे बढ़ रहा है।

## संपादकीय

# बद्दी से पंजाब तक सतलुज में प्रदूषण

कुछ उद्यमी मुनाफे की अंधी हवस में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ किए बिना ही जलधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बद्दी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां नदियों में ज़हरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बद्दी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निस्संदेह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं हैं। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिकॉर्ड कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बाबत कई बार जांच भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना ट्रीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्युटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व और एंटीबॉयोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं।

दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बहाव की दिशा में बेफिक्री से छोड़ दिया गया। निस्संदेह, यदि यह कचरा नुकसानदायक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारें मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है। यही वजह है कि अभी अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन यह एक हकीकत है कि अज्ञात इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, दोषी होने का सबूत नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि पंजाब और हिमाचल के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मिलकर साझी जांच करें। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चाहिए कि वह इसकी स्वतंत्र रूप से निगरानी करे। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस घटना के बाद बद्दी-सिरसा-सतुलज की पूरी चेन की लगातार निगरानी की जाए। वहीं दूसरी ओर मॉनसून के दौरान अचानक निरीक्षण, अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों की पहचान करना और वैज्ञानिक तरीके से प्रदूषण के असली स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी प्रावधान हो कि बार-बार नियम तोड़ने वाले उद्यमियों पर कड़े आर्थिक दंड लगाए जाएं। उन्हें आपराधिक कृत्य के लिये परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहने को भी कहा जाए। शायद तभी धरती, पानी और हवा को प्रदूषित करने वाले कारोबारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

# बीमार मानसिकता से मुक्ति की हो ईमानदार कोशिश

> “सही अर्थों में भारतीय कहलाने का अधिकारी वही है जो धर्म या जाति के आधार पर नहीं, देश के प्रति अपनी भावना के आधार पर अपनी निष्ठा को प्रमाणित करे। देश के प्रति अपनी निष्ठा का तकाजा है कि हम उस सोच को बदलें, उससे मुक्त हों, जो इंसानों के बीच फर्क करता है।

बरसों पुरानी बात है, शायद मध्य प्रदेश की है। परिगणित जाति की एक महिला सरपंच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से मिलने गयी थीं। काम हो जाने के बाद जब वह सरपंच कार्यालय से चली गयीं तो उस अधिकारी ने वह कुर्सी धुलवाकर ‘पवित्र’ करवायी थी जिस पर परिगणित जाति की महिला बैठी थी! यह समाचार तब कुछ अखबारों में छपा था। कुछ चर्चा भी हुई थी इसे लेकर। पर जल्द ही यह घटना लोग भूल गये। अपने ढंग की अकेली घटना नहीं थी यह। तथाकथित छोटी-जाति वालों के साथ ऐसा घटता रहता है। कभी घोड़े पर चढ़कर बारात ले जाने वाला कथित छोटा जाति वाला कथित उच्च जाति के गुस्से का शिकार बनता है तो कभी किसी स्कूल में छोटी जाति के बच्चों को पृथक बिठाने का समाचार मिलता है। पर हमारी सामाजिक स्मृति में ऐसी घटनाएं बहुत दिन तक नहीं रहतीं। भूल जाते हैं हम कि हमारे तथाकथित समतामूलक समाज में ऐसा भी कुछ घटा है या घट रहा है। नहीं भुलाया जाना चाहिए ऐसी बातों को। इन्हें याद रखना ज़रूरी है ताकि हमें यह अहसास होता रहे कि प्रगति के सारे दावों के बावजूद हमारी सोच कितनी पिछड़ी हुई है।

हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऐसी ही एक शर्मनाक घटना घटी थी, जिसे याद रखा जाना ज़रूरी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ घटी इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं राज्यसभा में दिया था। यह अच्छी बात है कि राज्यसभा में सत्तारूढ़ पक्ष के नेता ने इस प्रकरण की जांच करने का आश्वासन देकर खड़गे जी की पीड़ा पर कुछ मरहम लगाने का काम किया। पर यह पीड़ा सिर्फ खड़गे जी की नहीं है, सिर्फ उनकी ही पीड़ा होनी भी नहीं चाहिए। इस पीड़ा का अहसास उस हर भारतीय को होना चाहिए जो समता और न्याय के आदर्शों में विश्वास करता है, जो यह मानता है कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है।




राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने हल्द्वानी में घटी इस शर्मनाक घटना का विवरण देते हुए बताया था कि यहां मैदान में उनका भाषण था, उस जगह और उस मंच को गंगाजल से धोकर शुद्ध किया गया था। शुद्धीकरण का आयोजन करने वाले कथित उच्च वर्ण वालों का कहना था कि जहां यह सभा हुई थी, वहां रामलीला का आयोजन होता है। इसलिए हवन करके जगह को शुद्ध किया गया!

इस अस्वीकार्य घटना की जांच कहां तक पहुंची है, पता नहीं। अक्सर ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर भुला दिया जाता है। पर होना यह चाहिए कि फिर जब कुछ ऐसा घटे तो हम यह अनुभव करें कि स्वतंत्रता के अस्सी साल बाद भी हम सामाजिक ऊंच-नीच के अभिशाप को ढो रहे हैं। जिस संगठन पर हल्द्वानी की इस घटना का आरोप है उसके सदस्यों का कहना है कि खड़गे जी की सभा जिस मैदान में हुई थी, वहां रामलीला का आयोजन होता है, उस जगह का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। किसी भी सोचने-समझने वाले विवेकशील व्यक्ति को यह तर्क समझ नहीं आ सकता। कहा यह जा रहा है कि ‘शुद्धीकरण’ का यह तमाशा चुनावी राजनीति का हिस्सा है। हो सकता है यह आयोजन करने वालों ने चुनावी राजनीति के संदर्भ में यह सब किया हो, पर बात चुनावी राजनीति की ही नहीं है; मामला राजनीतिक टकराव से कहीं ज्यादा उस बीमार मानसिकता का है जो हमें जातियों, वर्गों, वर्णों में बांटती है। जातिगत पूर्वाग्रह कहीं बहुत गहरे तक व्याप्त हैं। हल्द्वानी का यह प्रकरण हमारी सोच पर कुंडली मारकर बैठे इन पूर्वाग्रहों को सामने लाता है। मनुष्यता का तकाज़ा है कि हम इससे उबरें।

राजनीतिक स्वतंत्रता हमने लगभग अस्सी साल पहले प्राप्त कर ली थी, पर अधूरी है यह स्वतंत्रता। आवश्यकता सामाजिक रूढ़ियों से उबरकर एक ऐसे समाज को स्वतंत्र बनाने की है जहां व्यक्ति की नाप-तौल उसकी धार्मिक पहचान और उसकी जाति के आधार पर नहीं हो। इस संदर्भ में हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वह संबोधन याद रखने की आवश्यकता है जो उन्होंने संविधान-सभा की आखिरी बैठक में दिया था। अपने उस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, ‘26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, पर उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? वह अपनी स्वतंत्रता फिर से खो तो नहीं देगा?’ इसी भाषण में उन्होंने यह भी आगाह किया था कि उन्हें जाति और वर्ण जैसे देश के पुराने शत्रुओं की भी चिंता है। उन्होंने कहा था, ‘हमें राजनीतिक जनतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना, हमें इसे सामाजिक जनतंत्र भी बनाना होगा। बिना सामाजिक जनतंत्र के आधार के राजनीतिक जनतंत्र नहीं बन सकता। सामाजिक जनतंत्र का मतलब है एक ऐसी जीवन-पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकारती है। ये तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक-दूसरे से पृथक करने का मतलब जनतंत्र के उद्देश्य को ही समाप्त करना होगा... समानता नहीं होगी तो इसका मतलब बहुतों पर कुछ का आधिपत्य होगा और समानता बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति की पहल की क्षमता को नष्ट कर देगी।’

स्पष्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर ही हम राजनीतिक स्वाधीनता को सही मायने में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में जब हल्द्वानी जैसी कोई घटना सामने आती है तो यह सवाल उठता ही है कि छोटी जाति और बड़ी जाति वाली मानसिकता से हम कब और कैसे मुक्त होंगे? बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने 25 नवंबर, 1949 वाले संबोधन में कहा था कि स्वतंत्र भारत में हम विरोधाभासों में जिएंगे। राजनीतिक दृष्टि से हम सब समान होंगे, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम में असमानता होगी। इन विरोधाभासों में हम ज़्यादा नहीं जी सकते। हमें इनसे मुक्त होना ही होगा। इनसे मुक्त हुए बिना हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते। स्पष्ट है, सामाजिक विषमता से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति पानी ही होगी। पर हल्द्वानी जैसी घटनाएं बताती हैं कि जानते-बूझते भी हम सामाजिक विषमता से मुक्त होने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे। आखिर क्यों? इस क्यों का एक उत्तर तो यह है कि हमने जातिगत विषमता को अपनी राजनीति का हथियार बना लिया है। हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष को जिस अपमान का सामना करना पड़ा, उसमें जाति के आधार पर राजनीतिक नफे-नुकसान की गंध आ रही है। राज्यसभा में अपनी पीड़ा को उजागर करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की मनोदशा को समझना मुश्किल नहीं है। कहने को हम कह सकते हैं कि खड़गे भी ऊंची जाति-नीची जाति की राजनीति खेल रहे हैं, पर इससे इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता कि जातियों की गोलबंदी ने एक भारतीय समाज की हमारी प्राथमिकता को कहीं पीछे धकेल दिया है। सवाल सामाजिक बराबरी की लड़ाई में जीतने का है। यह जीत ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना को कब साकार कर सकते हैं जिसमें जाति या धर्म के आधार पर नहीं, भारतीयता के आधार पर यह तय होगा कि कौन सही अर्थों में भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकारी है और कौन नहीं। सही अर्थों में भारतीय कहलाने का अधिकारी वही है जो धर्म या जाति के आधार पर नहीं, देश के प्रति अपनी भावना के आधार पर अपनी निष्ठा को प्रमाणित करे। देश के प्रति अपनी निष्ठा का तकाज़ा है कि हम उस सोच को बदलें, उससे मुक्त हों, जो इंसानों के बीच फर्क करता है।

यह काम कानून से नहीं हो सकता। कानून तो हैं हमारे देश में, आवश्यकता इन कानूनों को सम्मान देने की है, अपने आचरण को उनके अनुसार बनाने की है। जब तक जातियों के आधार पर वोट मांगे जाते रहेंगे, जब तक जातियां यह तय करती रहेंगी कि किसे वोट देना चाहिए, किसको नहीं, तब तक हम जातीयता के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। उस दिन हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धीकरण के नाम पर जो कुछ हुआ, वह कुल मिलाकर जातीय शर्म का उदाहरण है। अनुसूचित जाति की किसी महिला का सरपंच बनना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता अपने भीतर यह भाव जगाने की है कि वह महिला पहले इंसान है, फिर कुछ और। कब जागेगा यह भाव?

## प्रेरणा

# थुंबा के त्याग की कहानी आज भी करती है देश को गर्वित

भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सफलता की चर्चा जब भी होती है, तब आमतौर पर वैज्ञानिकों, रॉकेटों, उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन इस महान यात्रा की नींव में एक छोटे से तटीय गांव के उन लोगों की कहानी भी छिपी है, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए अपने वर्तमान का त्याग करने में संकोच नहीं किया। केरल के थुंबा गांव की कहानी बताती है कि राष्ट्र निर्माण केवल प्रयोगशालाओं और सरकारी संस्थानों में नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों की इच्छाशक्ति, विश्वास और त्याग से भी इतिहास की नई इबारत लिखी जाती है। साठ के दशक की शुरुआत में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल शुरुआती दौर में था। देश आजाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था और आर्थिक तथा तकनीकी संसाधन सीमित थे। इसके बावजूद वैज्ञानिकों की सोच बहुत बड़ी थी। डॉ. विक्रम साराभाई उन वैज्ञानिकों में अग्रणी थे, जो मानते थे कि यदि भारत को आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है तो उसे अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा।

उस समय भारत को अपने शुरुआती रॉकेट कार्यक्रम के लिए ऐसे स्थान की तलाश थी, जहां वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हों। वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्थानों का अध्ययन किया और अंततः केरल के तट पर स्थित थुंबा को चुना। यह स्थान चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब था और वैज्ञानिक दृष्टि से रॉकेट तथा वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन थुंबा का चयन होते ही वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई, जिसका समाधान किसी मशीन, गणना या प्रयोगशाला में नहीं था। जिस भूमि की आवश्यकता थी, वहां सेंट मेरी मैगडलीन चर्च मौजूद था और आसपास मछुआरा समुदाय के घर बसे हुए थे। इन परिवारों का जीवन उसी इलाके से जुड़ा था। समुद्र उनके रोजगार का आधार था और घर उनकी पीढ़ियों की स्मृतियों से जुड़े हुए थे।

ऐसी स्थिति में जमीन हासिल करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी। यह लोगों की भावनाओं और जीवन से जुड़ा प्रश्न था। विक्रम साराभाई इस बात को समझते थे। उन्होंने यह नहीं माना कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने बातचीत और विश्वास का रास्ता चुना।

साराभाई ने स्थानीय बिशप पीटर बर्नार्ड परेरा से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में बताया और समझाया कि थुंबा देश के वैज्ञानिक भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिशप ने साराभाई की बात को गंभीरता से लिया और सहायता करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम बात समुदाय के सामने रखी जानी चाहिए।

इसके लिए साराभाई से कहा गया कि वह रविवार की प्रार्थना सभा के बाद चर्च में उपस्थित सभी लोगों के सामने अपनी योजना स्वयं रखें। साराभाई ने इस आग्रह को स्वीकार किया। रविवार को वह चर्च पहुंचे और ग्रामीणों के बीच खड़े होकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सपने के बारे में बताया।

उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि रॉकेट और अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षा नहीं है। भविष्य में अंतरिक्ष तकनीक देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर संचार, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन तक इसके अनेक उपयोग हो सकते हैं। भारत के लिए यह आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

साराभाई की बातों का स्थानीय लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकता को समझा और ऐसा निर्णय लिया, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। बिशप और ग्रामीणों ने देश के वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए चर्च, भूमि और अपने घरों को छोड़ने की सहमति दे दी।

यह केवल जमीन का हस्तांतरण नहीं था। यह विश्वास का हस्तांतरण था। एक समुदाय ने अपनी आस्था और जीवन से जुड़े स्थान को देश के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। यही कारण है कि थुंबा का नाम भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक अलग सम्मान के साथ लिया जाता है।

जिस चर्च में धार्मिक प्रार्थनाएं होती थीं, वही आगे चलकर भारत के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम का कार्यालय और प्रयोगशाला बना। वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के बीच वहीं से अपने प्रयोग शुरू किए। उस दौर में सुविधाएं बेहद साधारण थीं। उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए साइकिल और अन्य सामान्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों के उत्साह और राष्ट्र निर्माण की भावना में कोई कमी नहीं थी।

धीरे-धीरे थुंबा भारत की अंतरिक्ष यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। शुरुआती रॉकेट प्रक्षेपणों से शुरू हुई यह यात्रा आगे चलकर उपग्रह प्रक्षेपण, संचार तकनीक, मौसम विज्ञान और पृथ्वी अवलोकन जैसे क्षेत्रों तक पहुंची। भारत ने अपने प्रक्षेपण यान विकसित किए और अंतरिक्ष तकनीक को आम लोगों के जीवन से जोड़ना शुरू किया।

इसके बाद भारत ने चंद्रमा और मंगल तक अपने मिशन भेजे। देश ने अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जिन पर पूरी दुनिया ने ध्यान दिया। आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने वाली यात्रा की शुरुआती सीढ़ियों में थुंबा के लोगों का योगदान भी शामिल है। थुंबा की घटना हमें यह भी सिखाती है कि राष्ट्रभक्ति का अर्थ केवल देश के लिए नारे लगाना नहीं है। वास्तविक राष्ट्रभक्ति तब दिखाई देती है, जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश के बड़े हित के लिए अपने निजी हित को पीछे रखने का साहस करता है। थुंबा के लोगों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने शायद उस समय यह नहीं सोचा होगा कि उनका त्याग आने वाले दशकों में भारत की वैज्ञानिक पहचान का हिस्सा बनेगा।

आज जब भारत अंतरिक्ष में नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और दुनिया के सामने अपनी वैज्ञानिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तब उस छोटे से गांव को याद करना जरूरी है, जहां से इस यात्रा की मजबूत नींव रखी गई थी। थुंबा हमें याद दिलाता है कि बड़े राष्ट्रीय सपने केवल बड़े शहरों और आधुनिक संस्थानों से नहीं बनते। कभी-कभी एक छोटा गांव, कुछ सामान्य लोग और उनका असाधारण त्याग पूरे देश के भविष्य की दिशा बदल देता है।

# विरोध प्रदर्शन करें पर ना हो सीमाओं का अतिक्रमण

आये दिन होने वाले प्रदर्शनों के चलते सामान्य जनजीवन को बंधक बना देने की प्रवृति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदर्शनों के कारण कई बार तो जीवन मरण तक के हालात पैदा हो जाते हैं। अन्य सब कारणों और परिणामों को थोड़ी देर के लिए अलग कर भी दिया जाएं तो भी हालात यहां तक हो जाते हैं कि यातायात प्रभावित होने से तत्काल मेडिकल रिलिफ की आवश्यकता वाले बीमारों तक का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने, अपनी बात रखने और अपना विरोध अंकित कराने का सबको अधिकार है। केई गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए पर इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात कहने के चक्कर में दूसरों को अपने सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित कर दें। विरोध प्रदर्शन के साथ ही साथ दायित्व भी होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विरोध भी नहीं होता पर कब इस तरह के प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और कानून व्यवस्था के गंभीर हालात हो जाते हैं इसका खामियाजा प्रदर्शनकारियों को नहीं अपितु प्रशासन और आमजन को भुगतना पड़ता है। सीजीपी के हालिया प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में जो हालात बने और जयपुर में पिछले दिनों सीजीपी द्वारा स्कूल प्रकरण को लेकर ग्रामवासियों और सीजीपी लोगों के साथ हालात बने यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। रांची और देश के अन्य स्थानों के प्रदर्शनों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। शहर की सामान्य व्यवस्था को ही प्रभावित करने वाले स्थानों पर प्रदर्शन स्वीकृति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शहर के बीच प्रदर्शन की अनुमति क्यों कर दी जानी चाहिए। दरअसल सीजीपी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किये गये और यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन और पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल जाता है पर मूल कारण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे पहले 2017-18 में जलकट्टू घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति राजेश्वरन आयोग की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में विरोध अधिकार हो सकता है पर विरोध का एक तरीका होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सबको अधिकार है पर अपने विरोध प्रदर्शन के चक्कर में अन्य और वह भी आमनागरिकों का जनजीवन प्रभावित करने का किसी को अधिकार नहीं हो सकता। विरोध के चलते कानून हाथ में लेना या क्षेत्राधिकार से बाहर जाना एक सभ्य समाज और सभ्य नागरिक की पहचान नहीं हो सकती। सरकारी या निजी संपत्ती को नुकसान पहुंचाना या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। एक बात यह भी समझनी होगी कि पुलिस प्रशासन भी आखिर आदमी है और देखा जाएं तो उनका मरण दोनों तरफ से हो जाता है। यदि प्रदर्शनकारियों को एक सीमा से अधिक बढ़ने पर रोके नहीं तो प्रशासन की विफलता कहने में कोई देरी नहीं लगाता, यहां तक कि प्रशासन की इंटेलिजेंस फैलियर जैसे आरोप लग जाते हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की आलोचना आम हो जाती है पर जब कई बार प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान बेरिकेड़ तोड़ने, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और निरपराध आमजन को निशाने पर लेने लगते हैं तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि फिर प्रशासन गुलाब के फूल देकर तो प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं कर सकता हांलाकि प्रशासन को भी संयम बरतते हुए ही कदम उठाने चाहिए। दरअसल तस्वीर के दोनों पक्षों को देखना होगा। यदि प्रदर्शन सामान्य होता है और अनुमति प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो उस पर पुलिस प्रशासन की सख्ती को किसी भी हालात में स्वीकारा नहीं जा सकता पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है तो उस पर प्रशासन को भी कानूनी दायरें में रहते हुए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी।

अब जयपुर के स्कूल की घटना का विश्लेषण करें तो हालात की ओर ध्यान दिलाना एक उचित कदम हो सकता है पर स्कूल या किसी भी सरकारी-गैरसरकारी संस्थान का निरीक्षण का अधिकार किस कानून ने दे दिया है। एक सीमा तक प्रदर्शन आपका अधिकार हो सकता है पर प्रदर्शन से माहौल को तनावपूर्ण और द्वेषतापूर्ण बनाने की किसी भी व्यवस्था में अनुमति नहीं दी जा सकती और नहीं दी भी जानी चाहिए। प्रशासन, प्रदर्शनकारियों और आमजन को अपनी सीमाओं को समझना होगा। सुर्खियों में बनने के लिए कदम उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या कभी सोचा है कि हमारे प्रदर्शन से प्रदर्शन वाले शहरवासियों को कितना प्रभावित करता है। प्रदर्शन वाले शहर का कहीं ज्यादा तो कहीं कम यातायात प्रभावित हो जाता है। निजी व सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है। मरीजों व जरुरी काम वालों को बीच रास्ते अटकना पड़ जाता है। नौकरीपेशा या धंधे पर जाने वाले रास्ते में ही अटक जाते है। दैनिक काम के आधार पर रोजी रोटी कमाने वालों की मजदूरी अटक जाती है। शहर की सभी तरह की सप्लाई चैन बाधित हो जाती है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यस्त हो जाता है तो लोगों में असुरक्षा की भावना बनती है और बाहर निकलने से पहले सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और अब तो प्रशासन द्वारा ऐसे शहरों में इंटरनेट बंद करने तक का निर्णय कर लिया जाता है जिससे सामान्य गतिविधियां, बैंकिंग व्यवस्था, सूचनाओं का आदान-प्रदान और पढ़ाई-लिखाई तक पर असर पड़ता है। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महाजन की यह टिप्पणी कि शहर को बेवजह बंधक बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पहले तो प्रशासन को भी चाहिए कि प्रदर्शन आदि के लिए ऐसा स्थान निर्धारित हो जहां से सामान्य जनजीवन किसी तरह से प्रभावित ना हो सके। आम जन, शहरी यातायात, शहर का दैनिक जनजीवन किसी तरह से प्रभावित ना हो। ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्रदर्शनकारियों की बात वे जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाई जा सके। प्रदर्शनकारियों को भी प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। असामाजिक तत्वों को किसी तरह का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। जब किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा या गलत गतिविधियां होने लगती है और व्यवस्था हाथों से निकलने लगती है व प्रशासन द्वारा सख्ती होती है तो यह सामान्य जबाव होता है कि हिंसा या हालात बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व उनमें से नहीं थे पर ऐसा कहने मात्र से जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता।

## अभियान

# रक्षाबंधन पर इस बार बदल जाएगा राखी बांधने का समय? ग्रहण, भद्रा और शुभ मुहूर्त को लेकर जानें पूरी जानकारी

भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन इस बार विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय संयोगों के बीच मनाया जाएगा। साल 2026 में रक्षाबंधन को लेकर पंचांग की गणना और पर्व के समय को लेकर लोगों के बीच खास उत्सुकता है। बहनें इस दिन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा सुखी जीवन का संकल्प लेते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, जिम्मेदारी और विश्वास को मजबूत करने वाला अवसर भी मानी जाती है।

रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहने की जानकारी दी जा रही है। उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन देशभर में भाई-बहन अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे।

रक्षाबंधन के दिन बहनें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और भगवान की पूजा के बाद राखी की थाली सजाती हैं। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, राखी और कई स्थानों पर नारियल तथा कलावा भी रखा जाता है। इसके बाद भाई को आसन पर बैठाकर सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। भाई की आरती उतारी जाती है और उसकी दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके बाद उसे मिठाई खिलाई जाती है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती है। भाई भी बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेता है।

इस बार रक्षाबंधन के शुभ समय को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जा रही है। दी गई पंचांग गणना के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक राखी बांधने का शुभ समय बताया गया है। इस प्रकार बहनों को राखी बांधने के लिए लगभग 3 घंटे 51 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। हालांकि धार्मिक मुहूर्त की गणना में स्थान का विशेष महत्व होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, स्थानीय समय और पंचांग की गणना के आधार पर अलग-अलग शहरों में मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय से पहले अपने शहर के स्थानीय पंचांग को देखना उचित रहेगा।

रक्षाबंधन के दिन राहुकाल को लेकर भी सावधानी बरतने की धार्मिक मान्यता है। ज्योतिष और सनातन परंपरा में राहुकाल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए जिन परिवारों में मुहूर्त और धार्मिक समय का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां राखी बांधने से पहले राहुकाल की अवधि भी देखी जाती है। हालांकि राहुकाल की अवधि सूर्योदय और स्थानीय स्थान के अनुसार बदलती है, इसलिए किसी एक शहर का राहुकाल पूरे देश के लिए समान नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना अधिक उपयुक्त होता है।

रक्षाबंधन 2026 को लेकर एक और बात लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और वह है चंद्र ग्रहण। पर्व के दिन चंद्र ग्रहण होने की चर्चा के कारण कई परिवारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ग्रहण का असर रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के समय पर पड़ेगा। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ग्रहण के धार्मिक नियम उसकी दृश्यता से जुड़े माने जाते हैं। यदि किसी स्थान से ग्रहण दिखाई नहीं देता, तो वहां सूतक आदि के नियम लागू होने को लेकर धार्मिक परंपराओं में अलग-अलग मत मिलते हैं। इसलिए केवल ग्रहण का नाम सुनकर पूरे देश के लिए एक जैसा नियम मान लेना उचित नहीं होगा।

ग्रहण की स्थिति और उसके समय की गणना स्थान विशेष के अनुसार देखी जानी चाहिए। जिस शहर में ग्रहण दिखाई दे, वहां स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार सूतक तथा पूजा-पाठ से जुड़े नियमों का पालन किया जा सकता है। वहीं जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां परंपरागत रूप से नियम अलग हो सकते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन अपने शहर में ग्रहण की दृश्यता और स्थानीय पंचांग की जानकारी पहले से प्राप्त करना जरूरी हो जाता है।

रक्षाबंधन का संबंध केवल शुभ मुहूर्त से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी है। इस दिन बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि वर्षों का प्रेम, बचपन की यादें और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना होती है। भाई के लिए राखी उसकी बहन के विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। समय के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदला है। आज बहनें देश-विदेश में रहने वाले भाइयों को डाक, कूरियर और ऑनलाइन माध्यम से राखी भेजती हैं। कई बहनें वीडियो कॉल के जरिए भाई को राखी बांधने की रस्म पूरी करती हैं।

रक्षाबंधन के दिन पूजा की तैयारी भी श्रद्धा के साथ की जाती है। सुबह घर की सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान का ध्यान किया जाता है। इसके बाद राखी की थाली तैयार की जाती है। भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना कई परिवारों में शुभ माना जाता है, हालांकि यह परंपरा परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। बहन भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाती है और फिर अक्षत लगाकर आरती करती है। इसके बाद दाहिनी कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाती है।

राखी बांधते समय बहन भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। कई परिवारों में पारंपरिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से रक्षा सूत्र को सुरक्षा और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि राखी का धागा सामान्य धागे से अलग भावनात्मक और धार्मिक महत्व रखता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है। पहले जहां उपहार के रूप में कपड़े, मिठाई या पैसे देने की परंपरा अधिक थी, वहीं अब समय के साथ उपहारों के विकल्प भी बदल गए हैं। भाई अपनी बहन की पसंद के अनुसार कपड़े, आभूषण, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य उपयोगी वस्तुएं दे सकते हैं। हालांकि इस पर्व का वास्तविक महत्व महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि रिश्ते में प्रेम और सम्मान बनाए रखने में है।

कई परिवारों में रक्षाबंधन के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं। घर में मिठाइयां, खीर, पूड़ी, हलवा और अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। बहनें अपने मायके पहुंचती हैं और पूरा परिवार एक साथ त्योहार मनाता है। जिन बहनों के भाई दूर रहते हैं, वे पहले से यात्रा की योजना बनाती हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में भी त्योहार के आसपास चहल-पहल बढ़ जाती है। रक्षाबंधन सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण पर्व है। यह केवल सगे भाई-बहन तक सीमित नहीं रहा। कई स्थानों पर महिलाएं सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पुलिसकर्मियों, सैनिकों और अन्य सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधती हैं। स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भी रक्षाबंधन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाई-बहन के रिश्ते के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव और आपसी विश्वास का संदेश दिया जाता है।

रक्षाबंधन पर राखी बांधने में जल्दबाजी न करने की सलाह का अर्थ यही है कि परिवार पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और यदि लागू हो तो ग्रहण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। इंटरनेट या अलग-अलग स्रोतों पर उपलब्ध समय में अंतर हो सकता है। इसलिए अपने शहर के विश्वसनीय पंचांग या स्थानीय ज्योतिषीय गणना को प्राथमिकता देना बेहतर माना जाता है।

विशेष रूप से ग्रहण से जुड़े नियमों को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास करने के बजाय वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जबकि सूतक और पूजा से जुड़े नियम धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं। दोनों को अलग-अलग समझना चाहिए। किसी विशेष स्थान पर धार्मिक नियमों का पालन करना है या नहीं, इसका निर्णय वहां की परंपरा और स्थानीय पंचांग के आधार पर किया जा सकता है।

रक्षाबंधन का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह त्योहार समय और दूरी की सीमाओं को पार कर रिश्तों को जोड़ता है। बचपन में साथ खेलते भाई-बहन बड़े होकर अलग-अलग शहरों और देशों में रहने लगते हैं, लेकिन राखी का धागा उन्हें फिर एक-दूसरे की यादों से जोड़ देता है। बहन की कलाई पर बंधी राखी और भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र दोनों के बीच उस रिश्ते की याद दिलाता है, जिसकी नींव बचपन से रखी जाती है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# पालनपुर में छिपा था पंजाब का वांछित शूटर, गुजरात एटीएस ने दबोचा

## बटाला फायरिंग केस में लंबे समय से फरार सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी गिरफ्तार, जग्गू भगवानपुरिया गैंग से कनेक्शन की भी जांच

अहमदाबाद/बटाला। पंजाब के बटाला में हुई फायरिंग की वारदात के बाद लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने पालनपुर से गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक आरोपी पर पंजाब में फायरिंग, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और हथियारों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जांच में उसके संबंध कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी सामने आए हैं। आरोपी को पकड़ने के बाद एटीएस ने उससे पूछताछ की और उसकी गतिविधियों तथा उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी जुटाई है। अब पंजाब पुलिस को इसकी सूचना देकर उसे बटाला के सेखवां थाने में दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गुजरात एटीएस को आरोपी के पालनपुर में छिपे होने की सूचना मिली थी। एटीएस के पुलिस अधीक्षक के. सिद्धार्थ को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। सूचना की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्ष उपाध्याय, पुलिस इंस्पेक्टर डीबी प्रजापति, पुलिस वायरलेस इंस्पेक्टर एमपी झाला, पुलिस सब-इंस्पेक्टर एमएम गढ़वी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने लगातार निगरानी के बाद पालनपुर स्थित होटल सुंधा में कार्रवाई की और 22 अगस्त की शाम सुखविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लेने के बाद आरोपी को अहमदाबाद स्थित गुजरात एटीएस कार्यालय लाया गया, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की गई। एटीएस के अनुसार पूछताछ में सुखविंदर ने 20 जुलाई को बटाला इलाके में हुई फायरिंग की घटना में अपनी कथित भूमिका के बारे में जानकारी दी। जांच एजेंसी के मुताबिक उस दिन वह अपने साथियों साहिबदीप सिंह, गगनदीप सिंह और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के साथ शिकायतकर्ता महकदीप सिंह के शेलर यानी अनाज मिल के पास पहुंचा था। वहां फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पंजाब




पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और सुखविंदर तभी से फरार चल रहा था।

एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी ने भागने के लिए लगातार ठिकाने बदले। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद वह अपने साथी विक्रमजीत सिंह के साथ कादियां तहसील के गांव ठिकरीवाल स्थित अपनी बुआ हरमीत कौर के घर पहुंचा था। वहां उसने अपनी लाइसेंसी .30-06 राइफल अपने चचेरे भाई मनजोत सिंह को सौंप दी। इसके बाद उसने पंजाब से बाहर निकलकर खुद को पुलिस की नजरों से बचाने की कोशिश की। वह पहले खरड़ के एक होटल में रुका और इसके बाद दिल्ली, हैदराबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलता रहा। आखिरकार वह गुजरात के पालनपुर पहुंचा, जहां एटीएस की टीम ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सुखविंदर सिंह का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। उसके खिलाफ पंजाब के अलग-अलग थानों के अलावा गुजरात में भी मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसी के अनुसार वर्ष 2018 में धारीवाल थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, धमकी और आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2019 में सिविल लाइन्स बटाला थाने में फायरिंग और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी वर्ष गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ थाने में भी गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

इसके बाद वर्ष 2021 में रंगड़ नंगल थाने में हत्या के प्रयास और हथियार से संबंधित अपराध का मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2023 में एसएसओसी पंजाब की ओर से दर्ज मामले में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं। वर्ष 2025 में टांडा थाने में भी हथियार अधिनियम से जुड़ा मामला दर्ज हुआ। इन मामलों के कारण पुलिस एजेंसियां काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं।

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि आरोपी वर्ष 2021 में ड्रग्स और आईसीई तस्करी से जुड़े एक मामले में दुबई में करीब नौ महीने तक जेल में रह चुका है। विदेश में रहने के दौरान उसकी गतिविधियों और संपर्कों को लेकर भी जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं।

गुजरात एटीएस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पंजाब से फरार होने के बाद गुजरात तक पहुंचने के दौरान उसे किन लोगों ने मदद पहुंचाई और अलग-अलग शहरों में उसके रहने तथा आवाजाही की व्यवस्था किसने की।

सुखविंदर के संबंध जग्गू भगवानपुरिया गैंग से होने की बात भी जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है। हालांकि किसी आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके कथित गैंग संबंधों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मानी जाएगी।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बटाला की फायरिंग की घटना व्यक्तिगत विवाद का परिणाम थी या इसके पीछे किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका थी। पुलिस आरोपी के मोबाइल संपर्कों, यात्रा के रास्तों और उसके सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटा सकती है।

इस गिरफ्तारी को अंतरराज्यीय अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब में वारदात के बाद आरोपी का अलग-अलग राज्यों में जाकर छिपना बताता है कि आपराधिक मामलों में वांछित लोग राज्य की सीमाओं का फायदा उठाकर जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात एटीएस की कार्रवाई इसी अंतरराज्यीय समन्वय का एक उदाहरण मानी जा रही है।

बटाला में दर्ज मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109, 324(4), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत मामला दर्ज है। एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी है। अब संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को पंजाब पुलिस के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके बाद बटाला पुलिस उससे पूछताछ कर फायरिंग की घटना से जुड़े अन्य आरोपियों, हथियारों और वारदात के पीछे के संभावित कारणों की पड़ताल करेगी।

पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 जुलाई की फायरिंग की पूरी साजिश कैसे तैयार हुई, इसमें शामिल सभी लोगों की क्या भूमिका थी और वारदात के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से आए। इसके साथ ही फरारी के दौरान आरोपी को किस-किस व्यक्ति ने शरण दी या सहायता पहुंचाई, इसकी भी जांच हो सकती है। गुजरात एटीएस और पंजाब पुलिस के बीच साझा की जाने वाली जानकारी इस मामले की आगे की जांच में अहम साबित हो सकती है।

गुजरात एटीएस ने संकेत दिया है कि अंतरराज्यीय अपराध और संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अलग-अलग राज्यों में छिपकर रहने वाले वांछित अपराधियों की तलाश के लिए खुफिया सूचनाओं और स्थानीय पुलिस के सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब जांच की दिशा पंजाब में हुई फायरिंग से आगे बढ़कर उसके कथित आपराधिक संपर्कों और फरारी के दौरान उसे मिली मदद तक पहुंच सकती है। आने वाले दिनों में पूछताछ और पुलिस जांच से इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और भी तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

# इंतजार में खड़ी मां-बेटी पर काल बनकर टूटी एसटी बस, मौके पर मचा कोहराम

भावनगर। गुजरात के भावनगर शहर में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। फुटपाथ पर खड़ी मां-बेटी जिस वाहन का इंतजार कर रही थीं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल एक बेकाबू एसटी बस उनकी जिंदगी छीन लेगी। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हुई बस अचानक फुटपाथ की ओर जा पहुंची और वहां खड़ी मां-बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।

दुर्घटना की पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सामने आए घटनाक्रम के अनुसार मां और बेटी फुटपाथ पर खड़ी थीं और किसी वाहन के आने का इंतजार कर रही थीं। दोनों सड़क से अलग फुटपाथ पर सुरक्षित स्थान पर खड़ी नजर आ रही थीं। इसी दौरान अचानक एक एसटी बस अनियंत्रित होकर उनकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पातीं या वहां से हट पातीं, बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद के लिए दौड़ लगाई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी। दुर्घटना के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस के अचानक फुटपाथ की तरफ आने से वहां मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

इस दर्दनाक हादसे में मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। एक ही परिवार की दो सदस्यों की एक साथ मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों तक पहुंची, परिवार में मातम पसर गया। जिन मां-बेटी के साथ परिवार को रोजमर्रा की जिंदगी की उम्मीद थी, उनकी अचानक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में चीख-पुकार और मातम का माहौल बना हुआ है।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हादसा आखिर किन परिस्थितियों में हुआ और एसटी बस किस वजह से अनियंत्रित हुई, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही है। फुटेज में हादसे से पहले की स्थिति और बस के फुटपाथ की ओर बढ़ने का घटनाक्रम दिखाई देने की बात सामने आई है। जांच के दौरान बस की गति, चालक की स्थिति और दुर्घटना के संभावित कारणों को भी देखा जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए भी पैदा हो जाता है, जो सड़क से सुरक्षित दूरी पर फुटपाथ या किनारे खड़े होते हैं। भावनगर की यह घटना इसी गंभीर चिंता को सामने लाती है। आम तौर पर फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन तेज रफ्तार या अनियंत्रित वाहन फुटपाथ तक पहुंच जाए तो वहां खड़े लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इस हादसे ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी और चिंता देखने को मिली। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली बसों और भारी वाहनों के संचालन में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। सड़क किनारे खड़े लोगों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। खासकर ऐसे स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में लोग बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करते हैं, वहां वाहन नियंत्रण, फुटपाथ की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है।

भावनगर में हुई इस घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि मां और बेटी दोनों एक साथ इस दुनिया से चली गईं। दोनों किसी दुर्घटना की आशंका से अनजान अपने सफर के लिए वाहन का इंतजार कर रही थीं। कुछ ही क्षणों में एक सामान्य दिन परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दुखद दिन बन गया। हादसे के बाद परिजनों के सामने अपनों को खोने का ऐसा दर्द है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

फिलहाल हादसे के कारणों की आधिकारिक जांच का इंतजार है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि बस किस वजह से नियंत्रण से बाहर हुई और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या थीं। जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर सामने आएगी।

भावनगर की यह दुर्घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी भी है। सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है कि वह गति और नियंत्रण का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि चालक की एक छोटी-सी लापरवाही किसी दूसरे परिवार की पूरी जिंदगी उजाड़ सकती है। फुटपाथ पर सुरक्षित खड़ी मां-बेटी का इस तरह हादसे का शिकार होना बताता है कि सड़क सुरक्षा के लिए केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका सख्ती से पालन और प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

# लकड़ी के ट्रांजिट पास पर भी 'रिश्वत का खेल', 100 रुपये लेते निजी व्यक्ति गिरफ्तार

कच्छ। गुजरात के कच्छ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने लकड़ी परिवहन से जुड़े दस्तावेजों पर कार्रवाई के बदले कथित रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। भचाऊ तालुका स्थित सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट पर एसीबी की टीम ने एक निजी व्यक्ति को 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में एक वन रक्षक की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद एसीबी ने दोनों को आरोपी बनाया है। कार्रवाई के बाद वन विभाग और संबंधित अधिकारियों के बीच भी हड़कंप की स्थिति बन गई।

एसीबी के अनुसार, उसे शिकायत और गोपनीय जानकारी के माध्यम से पता चला था कि सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट से लकड़ी लेकर गुजरने वाले वाहनों के चालकों से ट्रांजिट पास से संबंधित औपचारिकताओं के नाम पर कथित रूप से अवैध रकम मांगी जा रही है। आरोप है कि लकड़ी के परिवहन से जुड़े ट्रांजिट पास पर मुहर लगाने और रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए वाहन चालकों से 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की रकम मांगी जाती थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जानकारी जुटाई और इसके बाद ट्रैप की योजना बनाई। जांच एजेंसी ने एक सतर्क नागरिक की मदद से रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कार्रवाई तय की। इसके तहत 24 अगस्त को सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई। एसीबी की कार्रवाई के दौरान जमनासा उस्मान सैयद, निवासी बुधर मोरा, तहसील अंजार, कच्छ, कथित तौर पर लकड़ी परिवहन के ट्रांजिट पास पर मुहर लगाने और संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बदले 100 रुपये की मांग कर रहा था। आरोप है कि यह रकम भचाऊ नॉर्मल रेंज में तैनात वन रक्षक हर्षभाई हेमराजभाई चौधरी के कहने पर मांगी गई थी। जैसे ही जमनासा उस्मान सैयद ने कथित रूप से 100 रुपये की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। टीम ने उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को तय प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया और रिश्वत की रकम को जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना है। जांच एजेंसी के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लकड़ी लेकर जाने वाले वाहनों के चालकों को चेकपोस्ट पर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अतिरिक्त रकम देनी पड़ रही थी। ट्रांजिट पास पर मुहर और रजिस्टर में प्रविष्टि जैसी नियमित सरकारी प्रक्रिया के बदले कथित रूप से पैसे मांगे जाने की शिकायत सामने आने के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लिया।

इस मामले में वन रक्षक हर्षभाई हेमराजभाई चौधरी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। एसीबी के अनुसार, निजी व्यक्ति द्वारा रिश्वत की रकम कथित तौर पर वन रक्षक के निर्देश पर मांगी गई थी। इसी आधार पर एजेंसी ने वन रक्षक को भी आरोपी बनाया है। अब जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इस तरह की कथित वसूली लंबे समय से चल रही थी और इसमें कोई अन्य कर्मचारी या व्यक्ति भी शामिल था। एसीबी इस बात की भी पड़ताल कर सकती है कि चेकपोस्ट से गुजरने वाले कितने वाहनों से कथित रूप से रकम ली गई और इसके लिए कोई निर्धारित तरीका या नेटवर्क बनाया गया था या नहीं। यदि जांच में ऐसे अतिरिक्त तथ्य सामने आते हैं तो मामले का दायरा बढ़ सकता है। फिलहाल एजेंसी का मुख्य फोकस रिश्वत मांगने और स्वीकार करने की घटना तथा इसमें संबंधित वन कर्मचारी की कथित भूमिका की जांच पर है।

गुजरात में वन क्षेत्रों और वन उपज के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर चेकपोस्ट और अन्य व्यवस्थाएं होती हैं। लकड़ी का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसे में यदि किसी अधिकारी या उसके कथित सहयोगी द्वारा वैध सरकारी प्रक्रिया के बदले अवैध रकम मांगी जाती है तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। एसीबी के मुताबिक, सूरजबाड़ी वन चेकपोस्ट के कार्यालय को कथित अपराध का स्थान बताया गया है। रिश्वत की 100 रुपये की रकम बरामद होने के बाद एजेंसी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य तथ्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया है। मामले की आगे की जांच गांधीधाम स्थित कच्छ (पूर्व) एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एचवी चौधरी द्वारा की जा रही है। एसीबी की कार्रवाई के बाद अब यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जांच में वन रक्षक और निजी व्यक्ति के बीच कथित संपर्क की प्रकृति क्या सामने आती है। यदि यह साबित होता है कि निजी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के निर्देश पर वाहन चालकों से रकम वसूल रहा था, तो जांच में रिश्वत की रकम के कथित वितरण और अन्य संभावित लेन-देन के पहलुओं को भी देखा जा सकता है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो समय-समय पर सरकारी कामकाज में रिश्वत मांगने की शिकायतों पर ट्रैप कार्रवाई करता रहा है। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अवैध वसूली से मुक्त रखना और नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराना है। सूरजबाड़ी की यह कार्रवाई भी इसी क्रम में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आरोप एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा है जिसमें परिवहन से जुड़े दस्तावेजों को मंजूरी और दर्ज करने का काम किया जाता है।

# नेपाल में जलप्रलय: तिब्बत से आए सैलाब ने मचाई तबाही, 95 मौतों का दावा; 500 से ज्यादा लोग लापता

## 105 भारतीय और 37 एनआरआई भी लापता, कई गांव जलमग्न; पुल और जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त, 14 हेलीकॉप्टरों से जारी है राहत-बचाव अभियान

रसुवा। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे रसुवा जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। भोटे कोशी नदी में अचानक आए उफान ने देखते ही देखते नदी किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, लापता लोगों में 105 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत की ओर जा रहे थे।

बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई वाहन, पुल, सीमा शुल्क परिसर में रखा सामान और दूसरी बुनियादी संरचनाएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। कई जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल के प्रभावित जिलों में सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्निफर डॉग तक लगाए गए हैं।

### लापता लोगों में कई देशों के नागरिक

बाढ़ के बाद सामने आई लापता लोगों की सूची ने चिंता और बढ़ा दी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के 105, नेपाल के 93, एनआरआई के 37, मलेशिया के 17, ब्रिटेन के 12, दक्षिण अफ्रीका के चार, अमेरिका के तीन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के एक-एक नागरिक लापता बताए गए हैं। इसके अलावा 111 ऐसे लोग भी हैं जिनकी नागरिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार कुल 384 यात्री लापता बताए गए हैं, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। इस आंकड़े के कारण प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों और उनके परिवारों में भारी चिंता है। भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए भारत में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

### तिब्बत की ओर से आया पानी, भोटे कोशी में अचानक बढ़ा जलस्तर

अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे तिब्बत की ओर से अचानक भारी मात्रा में पानी नेपाल की ओर आया। इसके बाद भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। देखते ही देखते रसुवा जिले के तिमुरे और स्याफ्रुबेसी समेत आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए।

बाढ़ का असर रसुवा से आगे धादिंग और काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित



नुवाकोट तक भी पहुंचा। हालांकि बाढ़ के वास्तविक कारण को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शुरुआती आशंका तिब्बत की ओर भारी बारिश, हिमस्खलन अथवा किसी ग्लेशियर से अचानक पानी निकलने की है। नेपाली अधिकारी संभावित ग्लेशियर झील फटने या किसी अन्य प्राकृतिक घटना की भी जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बाढ़ के सटीक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। तिब्बत की ओर से दोबारा पानी आने की आशंका के कारण प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है।

### तिमुरे और स्याफ्रुबेसी में भारी तबाही

नेपाल सेना के अनुसार अचानक बढ़े जलस्तर ने रसुवा के तिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में भारी तबाही मचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वाहन, सामान और अन्य संपत्तियां बह गईं। कई सड़क मार्ग बाधित हो गए और संपर्क व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

रसुवा काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। रणनीतिक दृष्टि से यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से नेपाल और चीन के बीच व्यापारिक आवागमन होता है। बाढ़ से सीमा शुल्क परिसर भी प्रभावित हुआ और वहां खड़े कई वाहन तथा सामान बह गए।

धादिंग जिले के गजुरी में एक पुल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। इससे आवागमन पर गंभीर असर पड़ा है और राहत दलों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं।

### शव बरामद, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया

बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव दलों ने अलग-अलग स्थानों से शव बरामद किए हैं। नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका क्षेत्र से तीन पुरुषों और एक महिला के शव मिले हैं। ये शव त्रिशूली नदी के पास पाए गए। वहीं रसुवा जिले के स्याफ्रुबेसी से छह, मेलुंग से दो और धुंचे से चार लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब भी बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने या लापता होने की आशंका बनी हुई है।

रसुवा से सशस्त्र पुलिस बल के चार जवान भी लापता बताए गए हैं। बाढ़ में पुलिस के कुछ कार्यालय और चौकियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

### 354 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता प्रभावित

बाढ़ ने नेपाल के ऊर्जा ढांचे को भी बड़ा झटका दिया है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल के अनुसार नुवाकोट और रसुवा जिलों में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा पांच निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है।

क्षतिग्रस्त परियोजनाओं में 111 मेगावाट की रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना, 78 मेगावाट की संजेन खोला जलविद्युत परियोजना और 60 मेगावाट की अपर त्रिशूली-3ए परियोजना प्रमुख हैं। बाढ़ के कारण इन परियोजनाओं के संचालन और बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

### करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित

बाढ़ से स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मेलुंग, सल्लेतार, शांतिबाजार, पाइरेबेसी, खल्ती बस्ती, सोले, त्रिशूली और बट्टार समेत करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और चितवन सहित कई निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

### 14 हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्निफर डॉग से तलाश

नेपाल सेना ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। सेना ने 14 हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव कार्यों में लगाए हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने और जरूरतमंदों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा राहत एवं बचाव अभियान में पांच ड्रोन तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए तीन स्निफर डॉग भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। घायलों और प्रभावित लोगों के उपचार के लिए पांच डॉक्टरों सहित 16 स्वास्थ्यकर्मियों की टीम रसुवा भेजी गई है।

नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रही हैं। हालांकि दुर्गम पहाड़ी इलाका, क्षतिग्रस्त सड़कें और तेज बहाव राहत कार्यों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

### एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई निगरानी

नेपाल में आई आपदा के मद्देनजर भारत की ओर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने करीब 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर अपनी सभी संबंधित इकाइयों और प्रतिष्ठानों को अलर्ट किया है।

सीमावर्ती इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसएसबी के 18 दल तैनात किए गए हैं, जबकि सात अन्य दलों को तैयार रहने को कहा गया है। सीमा क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निगरानी और समन्वय बढ़ाया गया है।

### पीएम मोदी ने नेपाल को हरसंभव मदद का भरोसा दिया

नेपाल में हुई तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बाढ़ में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं।

प्रधानमंत्री ने नेपाल को हरसंभव मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। भारत की ओर से राहत और बचाव प्रयासों में सहयोग की तैयारी भी जताई गई है। दोनों देशों के बीच जारी संपर्क के बीच भारतीय एजेंसियां नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर भी नजर रख रही हैं।

### बिहार में भी बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट

नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी चिंता का कारण बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राज्य में बाढ़ के खतरे को लेकर बातचीत की। शाह ने संभावित संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। निचले इलाकों में प्रशासन को किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

# भगवान जगन्नाथ पर बनी एनिमेटेड फिल्म पर रोक की मांग, पुरी शंकराचार्य बोले- शास्त्र और परंपरा के विपरीत है कहानी

पुरी। भगवान जगन्नाथ की आस्था और परंपरा से जुड़ी एक एनिमेटेड फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को लेकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने फिल्म की रिलीज पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। शंकराचार्य का कहना है कि भगवान जगन्नाथ से संबंधित विषय को मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते समय शास्त्रों, धार्मिक परंपराओं, इतिहास और सदियों से चली आ रही रीति-रिवाजों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, फिल्म में प्रस्तुत की गई सामग्री इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस संबंध में सोमवार को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (SJTMC) के अध्यक्ष और पुरी के गजपति महाराजा दिब्यसिंह देब को पत्र लिखा। यह पत्र बुधवार को मीडिया के सामने आया। पत्र सामने आने के बाद फिल्म को लेकर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म की रिलीज अब कुछ ही समय दूर है और इसी बीच शंकराचार्य की ओर से सीधे तौर पर रोक लगाने की मांग किए जाने से विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है।

शंकराचार्य ने अपने पत्र में फिल्म को 'पूरी तरह काल्पनिक और बेबुनियाद' बताया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी भगवान जगन्नाथ से संबंधित शास्त्रीय मान्यताओं, परंपराओं, इतिहास और धार्मिक रीति-रिवाजों के विपरीत है। उनका विरोध केवल फिल्म की प्रस्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की धार्मिक पहचान और उनसे जुड़ी परंपराओं को किसी भी प्रकार की काल्पनिक व्याख्या से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

पुरी में भगवान जगन्नाथ की परंपरा का धार्मिक महत्व बहुत व्यापक है। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल ओडिशा ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा से जुड़ी धार्मिक परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। मंदिर की पूजा पद्धति, उत्सव, अनुष्ठान और धार्मिक मान्यताओं की अपनी विशिष्ट व्यवस्था है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ पर आधारित किसी फिल्म या अन्य रचनात्मक प्रस्तुति को लेकर श्रद्धालुओं की संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है।

स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पुरी पीठ के शंकराचार्य होने के साथ-साथ श्री जगन्नाथ मंदिर की 'मुक्ति मंडप पंडित सभा' के स्थायी अध्यक्ष भी हैं। मुक्ति मंडप को मंदिर की धार्मिक परंपराओं और शास्त्रीय विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। इसलिए शंकराचार्य की ओर से फिल्म पर सवाल उठाए जाने को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका केंद्र भगवान जगन्नाथ हैं। एनिमेशन के माध्यम से धार्मिक कथा को नई पीढ़ी और बच्चों सहित व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। एनिमेटेड फिल्मों में अक्सर कथाओं को रोचक बनाने के लिए दृश्यात्मक प्रस्तुति, संवाद और घटनाओं को नाटकीय रूप दिया जाता है। लेकिन जब विषय किसी जीवित धार्मिक परंपरा और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो, तो काल्पनिक प्रस्तुति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

शंकराचार्य की मुख्य आपत्ति इसी बिंदु पर है। उनका कहना है कि भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा को शास्त्रीय और परंपरागत आधार के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि किसी फिल्म में ऐसे प्रसंग, पात्र या घटनाएं जोड़ी जाती हैं जिनका आधार धार्मिक ग्रंथों या स्थापित परंपराओं में नहीं है, तो इससे श्रद्धालुओं के बीच गलत धारणा पैदा हो सकती है।

उन्होंने मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंदिर प्रशासन इस शिकायत को किस रूप में देखता है और फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया आती है। भगवान जगन्नाथ से जुड़े विषयों को लेकर पहले भी कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक बहस सामने आती रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जगन्नाथ परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ओडिशा की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। रथ यात्रा से लेकर मंदिर की दैनिक पूजा पद्धति तक, भगवान जगन्नाथ से जुड़े अनेक अनुष्ठानों की अपनी विशिष्ट परंपरा है।

# रक्षाबंधन पर गुजरात में दौड़ेंगी 6,500 अतिरिक्त बसें, 101 नई एसटी बसों को मिली हरी झंडी

अहमदाबाद। रक्षाबंधन के त्योहार पर गुजरात में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने विशेष परिवहन व्यवस्था की है। त्योहार के दौरान बहनों को भाइयों तक पहुंचने और परिवारों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए 26 से 30 अगस्त तक राज्यभर में करीब 6,500 अतिरिक्त बस ट्रिप संचालित की जाएंगी। इस विशेष व्यवस्था के तहत प्रमुख शहरों के साथ-साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

इसी क्रम में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने 101 नई एसटी बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन बेड़े में शामिल किया। इन नई बसों में अलग-अलग श्रेणी की बसें शामिल हैं, जिनसे यात्रियों को लंबी दूरी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। नई 101 बसों में 71 सुपर एक्सप्रेस, 20 मिडी और 10 स्लीपर कोच बसें शामिल हैं। इन बसों को सामान्य परिचालन के साथ रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नई बसों के शामिल होने से उन मार्गों पर भी परिवहन क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है, जहां त्योहारों के समय यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है।

रक्षाबंधन गुजरात में बड़े स्तर पर मनाया जाता है और त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। खास तौर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके या भाई के घर पहुंचती हैं। इसके चलते अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों से ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों की ओर जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यात्रियों की इसी बढ़ती जरूरत को देखते हुए जीएसआरटीसी ने पांच दिनों के लिए विशेष परिवहन योजना तैयार की है। 26 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाली



अतिरिक्त सेवाओं में यात्रियों की मांग के अनुसार विभिन्न मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

रक्षाबंधन के दौरान केवल परिवारों से मिलने वाले यात्रियों की संख्या ही नहीं बढ़ती, बल्कि धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जीएसआरटीसी ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्गों के अलावा अंबाजी, पावागढ़ और सोमनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी विशेष बस सेवाओं की योजना बनाई है। इससे त्योहार के दौरान धार्मिक यात्रियों की भीड़ के बीच परिवहन की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष बसों का संचालन यात्रियों की मांग और विभिन्न रूटों पर उपलब्ध क्षमता के अनुसार किया जाएगा।

राज्य परिवहन निगम ने यात्रियों को अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर ऑनलाइन माध्यम से अथवा संबंधित एसटी डिपो पर अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। इससे त्योहार के दिनों में बस अड्डों पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

जीएसआरटीसी ने इस साल रक्षाबंधन पर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अतिरिक्त सेवाएं संचालित करने का फैसला किया है। पिछले साल रक्षाबंधन के दौरान निगम ने 6,402 अतिरिक्त बस ट्रिप चलाई थीं। इन विशेष सेवाओं के माध्यम से करीब 3.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। पिछले साल यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए इस बार अतिरिक्त ट्रिप की संख्या बढ़ाकर करीब 6,500 कर दी गई है। इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान बढ़ने वाली मांग को समय रहते पूरा करना और यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना है।

निगम का मानना है कि अतिरिक्त बस सेवाओं से नियमित बसों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। साथ ही, जिन रूटों पर सामान्य दिनों में सीमित बस सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वहां भी त्योहार की जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फेरे लगाए जा सकेंगे।

गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में 101 नई बसों को शामिल करना गुजरात के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नई बसों में सुपर एक्सप्रेस बसें लंबी दूरी के यात्रियों के लिए उपयोगी होंगी, जबकि मिडी बसों का इस्तेमाल अपेक्षाकृत छोटे और कम यात्री क्षमता वाले मार्गों पर किया जा सकेगा। वहीं, स्लीपर कोच बसें लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक विकल्प उपलब्ध कराएंगी। त्योहारों के दौरान रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ऐसी बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि 101 नई बसों को परिवहन व्यवस्था में शामिल करना नागरिकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि गुजरात के विभिन्न हिस्सों से यात्रा करने वाले लोगों का सफर आसान बनाने के उद्देश्य से रक्षाबंधन के पहले नए मार्गों पर विशेष बस सेवाएं शुरू की गई हैं। सरकार का जोर सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने पर है, ताकि लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता कम करनी पड़े और उन्हें सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिल सके।

रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में त्योहार की झलक भी देखने को मिली। एसटी कॉर्पोरेशन की महिला कंडक्टरों ने डिप्टी सीएम हर्ष संघवी को राखी बांधकर रक्षाबंधन का जश्न मनाया। महिला कंडक्टरों ने इस अवसर पर परिवहन व्यवस्था में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया। त्योहार के दौरान जहां अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वहीं एसटी निगम के चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

हर्ष संघवी ने एसटी कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना की और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने नई बसों में से एक का निरीक्षण भी किया और बस की सुविधाओं तथा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण बसों के अतिरिक्त फेरे लगाने के साथ-साथ ड्राइवर, कंडक्टर, डिपो कर्मचारी और अन्य ऑपरेशनल स्टाफ की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अधिकारियों के मुताबिक त्योहार की पांच दिवसीय अवधि में एसटी के ड्राइवर, कंडक्टर और ऑपरेशनल स्टाफ चौबीसों घंटे सेवाएं देने के लिए तैनात रहेंगे। अतिरिक्त बसों के संचालन के साथ बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और बसों के संचालन को व्यवस्थित रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

त्योहार के दौरान सबसे अधिक दबाव उन मार्गों पर रहने की संभावना है जो बड़े शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों से जोड़ते हैं। इसलिए निगम ने यात्रियों की मांग के आधार पर अतिरिक्त बस ट्रिप संचालित करने की तैयारी की है।

जीएसआरटीसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे रक्षाबंधन के दौरान यात्रा की योजना पहले से बनाएं और उपलब्ध एडवांस बुकिंग सुविधा का लाभ उठाएं।

# अहमदाबाद मंडल के DRM वेद प्रकाश की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत रेलवे फूड विजिलेंस फोर्स (RFVF) का औचक निरीक्षण,खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों पर खरा नहीं होने पर लगभग 40 लाख का जुर्माना

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में यात्रियों को शुद्ध, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर सख्ती से काम किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश द्वारा गठित विशेष टीम रेलवे फूड विजिलेंस टीम के रेलवे अधिकारियों की टीम द्वारा खाद्य आपूर्ति करने वाले 15 स्थानों पर बेस किचन और खानपान संस्थानों की एक साथ गहन औचक जांच की। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई, स्वच्छता और मानकों में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की गई। रेलवे प्रशासन ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए दोषी सेवा प्रदाताओं पर भारी जुर्माना लगाया है और एक इकाई को तो बंद भी कराया गया।



**निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं और की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:**

- डब्बा बाजार सरसपुर, अहमदाबाद के बेस किचन में खुले एवं बिना सील के मसाले, खराब सब्जियां, खराब फ्रीजर का उपयोग, एफआईएफओ प्रणाली का पालन न करना, अत्यंत अस्वच्छ किचन, उचित यूनिफॉर्म एवं सुरक्षा उपकरणों का अभाव, खाद्य सामग्री का खुले में रखा जाना तथा आवश्यक रिकॉर्ड का रखरखाव न करना जैसी कमियां पाई गईं। इस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया तथा यूनिट को मौके पर ही बंद कर दिया गया।
- धर्म नगर, साबरमती, अहमदाबाद बेस किचन में खराब फ्लाईकैचर, सड़े हुए आलू, वॉशिंग लिक्विड का अभाव तथा क्षतिग्रस्त ड्रेनेज जाली जैसी कमियां पाई गईं और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- सरसपुर, अहमदाबाद बेस किचन के मामले में स किचन का उपयोग न किए जाने और अन्य स्थान से भोजन आपूर्ति किए जाने की स्थिति पाई गई, जिस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- विष्णु एस्टेट, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास, अहमदाबाद बेस किचन में सड़े हुए आलू, एफआईएफओ प्रणाली का पालन न करना, बेस किचन में मक्खियों की मौजूदगी, असंतोषजनक स्वच्छता, उचित एग्जॉस्ट डक्ट का अभाव, अधपकी चपातियां, खुले एवं बिना सील के मसाले तथा खाना पकाने के तापमान का रिकॉर्ड न रखने जैसी कमियां पाई गईं। इस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- वोरा का रोजा, सरसपुर, अहमदाबाद के बेस किचन में अनुमोदित विक्रेता सूची एवं एफआईएफओ प्रणाली का अभाव, उचित वेंटिलेशन की कमी, असंतोषजनक स्वच्छता तथा कई समाप्ति तिथि पार कर चुके खाद्य उत्पाद का स्टॉक में लेना पाया गया। इन कमियों के मद्देनजर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- इसके अतिरिक्त सपना नगर कॉलोनी, गांधीधाम एवं रामबाग रोड, आदिपुर, गांधीधाम पर बेस किचन बंद पाए जाने के कारण क्रमशः 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- मालगोडाउन रोड, मेहसाणा बेस किचन के निरीक्षण में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने तथा भोजन की तैयारी निर्धारित बेस किचन के बजाय अन्य जगह से खाना लेने के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- पालनपुर के बेस किचन में स्वच्छता एवं सैनिटेशन की कमी, कच्चे एवं पके भोजन का अनुचित पृथक्करण, दूषित सब्जियां, खाद्य हैंडलर्स द्वारा उचित एप्रन एवं हेड कवर का उपयोग न करना, अपर्याप्त हैंड-वॉशिंग सुविधाएं, खुले क्षेत्र में लकड़ी के ईंधन से खाना पकाना, उचित कवर वाले कूड़ेदान का अभाव तथा आवश्यक खरीद, एफआईएफओ/एफईएफओ, तापमान एवं पेस्ट-कंट्रोल रिकॉर्ड का रखरखाव न किया जाना जैसी कमियां पाई गईं। इस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- विरमगाम स्थित रिफ्रेशमेंट रूम के निरीक्षण में प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अतिक्रमण, किचन में खराब स्वच्छता, कॉकरोच एवं मक्खियों की मौजूदगी, गंदे कपड़े से ढका कच्चा वड़ा, अनधिकृत पीडीडब्ल्यू तथा अनधिकृत विक्रेता की मौजूदगी और कर्मचारियों द्वारा यूनिफॉर्म न पहनने जैसी कमियां सामने आईं। जिस पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। बाकी सभी स्थानों पर बेस किचन एवं कूकिंग व्यवस्था अच्छी थी। अहमदाबाद मण्डल द्वारा सभी बेस किचन एवं खाद्य सेवा प्रदाताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य तैयारी, उचित भंडारण, नियमित सफाई, कचरा निस्तारण, ड्रेनेज एवं पेस्ट-कंट्रोल तथा सभी आवश्यक रिकॉर्ड के नियमित रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रेलवे की यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भविष्य में भी औचक निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

# गुजरात में शराबबंदी और मिलावट के खिलाफ सवाल उठाए गए, अवैध शराब विक्रेताओं और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई

**(निडर, निष्पक्ष, निष्पक्ष छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत.** गांधी जी के गुजरात में शराबबंदी अब सिर्फ नाम की रह गई है। क्योंकि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद, कई अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक माल गुजरात में ही पहुंचता है। और विशेष रूप से सूरत को गुजरात में शराब की बिक्री में अग्रणी माना जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, हरियाणा और दीव एवं दमन के केंद्र शासित प्रदेशों से अवैध शराब तस्करों द्वारा पूरे गुजरात में माल की आपूर्ति की जाती है। सूरत में सबसे अधिक घरेलू और विदेशी शराब पहुंचती है। यह देखना रोचक है कि जब गुजरात के उपमुख्यमंत्री सूरत से हैं और सबसे अधिक शराब सूरत में ही बिकती है, तो उपमुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या यह संभव है कि उपमुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, सूरत में इतनी अधिक शराब की बिक्री और उन अवैध शराब विक्रेताओं के बारे में जानकारी न रखते हों?

इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों के उन अवैध शराब तस्करों की पूरी जानकारी, जो गुजरात को माल की आपूर्ति करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं, उन राज्यों के गृह विभाग समेत उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के पास उपलब्ध है। ऐसे में, अगर शराब में मिलावट को सचमुच रोकना है, तो गुजरात और उन राज्यों की पुलिस को संयुक्त अभियान चलाना जरूरी है, जहां से अवैध शराब तस्कर माल की आपूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के अवैध शराब तस्करों के मकानों पर बुलडोजर भी चलाए जाने चाहिए। क्योंकि जब ये पड़ोसी अवैध शराब तस्कर, जो गुजरात से काला धन कमाकर करोड़ों रुपये की संपत्ति बना रहे हैं और खूब धंधा कर रहे हैं, तो उन्हें भी सबक सिखाया जाना चाहिए।

गुजरात में अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें इन अवैध शराब विक्रेताओं के दुराचार के कारण कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इनमें सूरत के कडोदरा, पालसाना और वडोदरा, मध्य गुजरात के अहमदाबाद में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने की घटनाएं शामिल हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत हुई है और हाल ही में सौराष्ट्र के भावनगर में हुई भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई परिवारों ने अपने प्रिय पुत्र को खो दिया है, कुछ ने अपने भाई को, कुछ ने अपने पिता को खो दिया है और कई बहनें विधवा हो गई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है?

यदि सरकार वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो स्थानीय पुलिस को पुलिस आयुक्त, डीजीपी और ग्रामीण क्षेत्रों के डीएसपी के साथ मिलकर ऐसे अवैध शराब विक्रेताओं की जांच करनी चाहिए जिनके खिलाफ अतीत या वर्तमान में मामले दर्ज हैं। उन पुलिस थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और दादाजी को बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्तियों को जब्त करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इससे नकली शराब में मिलावट भी बंद हो जाएगी। माताएं और बहनें विधवा नहीं बनेंगी और अवैध शराब विक्रेताओं को लंबे समय तक जेल में डाला जाएगा। अब खाद्य पदार्थों की बात करते हैं। जिस तरह नकली शराब बनाई जाती है, उसी तरह दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज़, तेल जैसे खाद्य पदार्थों में भी मुनाफाखोरों द्वारा मिलावट की जा रही है, जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा है। वर्तमान में, राज्य के कुछ शहरों से नकली पनीर, नकली घी, नकली मक्खन, नकली दूध, नकली तेल पकड़े जाने के कई मामले गुजरात के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। तब सवाल उठता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो दूध की जरूरत होती है, उसी तरह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से दूध, घी, मक्खन, सुवावड़ी दी जाती है। ऐसे में जब ये मिलावटी खाद्य पदार्थ शरीर में जाते हैं, तो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में मिलावट और पैसे कमाने का लालच लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए और उन्हें गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों में लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ अतीत और वर्तमान में पुलिस स्टेशनों में अपराध दर्ज हैं। उनकी संपत्ति को दादा के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। और इससे दूसरों को इसमें छेड़छाड़ करने से रोका जा सकेगा। और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी।

# पिछले पाँच वर्षों में अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत राज्य में 25 लाख परिवारों के 1.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क अनाज वितरण किया गया

## जिसमें मुख्य रूप से कुल 136 लाख मीट्रिक टन गेहूँ-चावल तथा 3 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज का लाभ दिया गया

गांधीनगर : पिछले पाँच वर्षों में अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत राज्य में 25 लाख जरूरतमंद परिवारों की 1.14 करोड़ से अधिक लाभार्थी-जनसंख्या को निःशुल्क अनाज वितरण किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से कुल 136 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और चावल तथा 3 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज का समावेश होता है।

अन्न और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने कहा कि इस प्रकार; मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में अन्न सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न त्योहारों में तथा मासिक दर पर परिवार-जनों को रियायती दर पर तथा निःशुल्क गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, चना तथा मोटे अनाज का लाभ दिया गया है।

**लाभार्थी परिवार तथा लाभार्थी जनसंख्या**

अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 3,06,026 परिवारों के 14,48,943 नागरिकों को लाभ पहुँचाया गया था। वर्ष 2023-24 में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 5,63,406 हुई थी, जिसमें 25,43,101 जनसंख्या को शामिल किया गया था। वर्ष 2024-25 में 7,49,252 परिवारों के 34,53,403 नागरिकों ने लाभ लिया था। जबकि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा 9,20,610 परिवारों के कुल 39,65,325 नागरिकों को अनाज का लाभ दिया गया है।

**अनाज वितरण का भंडार और खर्च**

अन्न और नागरिक आपूर्ति निगम की विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनाज के वितरण की व्यवस्था देखें तो; वर्ष 2021-22 में 26.91 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 12.57 लाख मीट्रिक टन चावल का वितरण किया गया था। वर्ष 2022-23 में 12.66 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 22.70 लाख मीट्रिक टन चावल का वितरण हुआ था। वर्ष 2023-24 में 9.20 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, 11.03 लाख मीट्रिक टन चावल और 1.28 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज का वितरण किया गया था। जबकि वर्ष 2024-25 में 10.48 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, 11.35 लाख मीट्रिक टन चावल और 0.84 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2025-26 में 8.76 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, 10.45 लाख मीट्रिक टन चावल और 0.88 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज का वितरण किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अन्न वितरण के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूँ के पीछे 6640.04 लाख रुपए और चावल के पीछे 4478.06 लाख रुपए मिलाकर कुल 11,118.10 लाख रुपए का खर्च किया गया था। वर्ष 2022-23 में गेहूँ के लिए 3227.92 लाख रुपए और चावल के पीछे 8449.85 लाख रुपए मिलाकर कुल 11,677.77 लाख रुपए का खर्च हुआ था। वर्ष 2023-24 में गेहूँ के लिए 2478.02 लाख रुपए और चावल के लिए 4283.83 लाख रुपए के साथ कुल 6761.85 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

जबकि; वर्ष 2024-25 में गेहूँ के पीछे 3111.41 लाख रुपए और चावल के पीछे 4554.53 लाख रुपए मिलाकर कुल 7665.94 लाख रुपए का खर्च हुआ था। जबकि वर्ष 2025-26 में गेहूँ के पीछे 2600.75 लाख रुपए और चावल के पीछे 4400.50 लाख रुपए मिलाकर राज्य सरकार द्वारा कुल 7001.25 लाख रुपए का खर्च करके जरूरतमंदों तक समय पर और पारदर्शी रूप से अनाज पहुँचाया गया है।

# सूरत नगर निगम के कर्मचारी और कांग्रेस अध्यक्ष कनैयालाल सोलंकी का निधन हो गया है; शोक कार्यक्रम 27 तारीख को होगा

**(निडर, निष्पक्ष, निष्पक्ष छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत.** गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस की सूरत नगर निगम शाखा के अध्यक्ष कनैयालाल नीललाल सोलंकी (53 वर्ष) का अल्प बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया। कनैयालाल नीललाल सोलंकी सूरत नगर निगम के जोन 7 के खातोदरा वार्ड कार्यालय में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत थे। वे वर्ष 2004 से गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस की सूरत नगर निगम शाखा के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। वे अत्यंत परोपकारी, निडर, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति थे। 22/08/2026 को वे बीमार पड़ गए और आगे के इलाज के लिए उन्हें यूनिक अस्पताल सूरत में भर्ती कराया गया। अल्प बीमारी के बाद, 24/08/2026 को पवित्र बरस तिथि को उनका निधन हो गया।



उनका इलाज करने वाले चिकित्सक उनकी वास्तविक बीमारी का पता नहीं लगा सके। उनकी अंतिम यात्रा उनके भटार निवास से शुरू हुई और संतश्री महेशभाई सेठ, संतश्री 108 के महंत किशोर दास, संतश्री नाथुनदास, संतश्री नागिनदास, संतश्री कांतिदास साहेब द्वारा उमरा रामनाथ घेला श्मशान घाट पर समारोहपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा, महासचिव सैयदभाई शेख, शहर के सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत सोलंकी, एडवोकेट अश्विनभाई वैष्णव, एडवोकेट जीतूभाई शाह, एडवोकेट अशोकभाई वैष्णव, एडवोकेट मयंकभाई सोलंकी, हसमुखभाई सोलंकी, बाबूभाई सोलंकी, अशोकभाई सोलंकी, प्रकाशभाई सुरती, मोतीभाई सोलंकी, अतुलभाई सोलंकी, रमेशभाई सोलंकी, मनीषभाई राजवाड़ी, विशालभाई मुंशी, सूरजभाई पटेल, दीपकभाई सोलंकी, विनोदभाई सोलंकी, सुरेशभाई राठौड़, नागिनभाई सोलंकी, सुरेशभाई मुंबईवाला, सुभाषभाई सोलंकी, प्रवीणभाई सोलंकी, जसिंगभाई, राकेश नटवरभाई सोलंकी, चंद्रकांतभाई सोलंकी, प्रकाशभाई सोलंकी, अमितभाई भगत, राकेशभाई सोलंकी भरूच वाला, अविनाशभाई मुंबई, भरूच, वडोदरा, नवसारी, वलसाड आदि संगठन के कार्यकर्ता, रिश्तेदार, भाई-बहन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस ने श्री कनैयालाल सोलंकी की आत्मा की शांति के लिए 27/08/2026 को शाम 6:00 बजे सूरत के न्यू ओपेरा हाउस में एक शोक कार्यक्रम का आयोजन किया है।

# पालतू पशुओं की बढ़ती जरूरतों के बीच विप्रो कंज्यूमर केयर की नई पहल, 'स्नगल्स' के साथ पेट फूड बाजार में एंट्री

हैदराबाद। भारत में पालतू पशुओं को लेकर बढ़ते जागरूकता और उनके पोषण पर बढ़ते खर्च के बीच विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने पेट फूड बाजार में कदम रखा है। कंपनी ने बुधवार को अपने नए पोषण उत्पाद ब्रांड 'स्नगल्स' को पेश करने की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने तेजी से विस्तार कर रहे भारतीय पालतू पशु खाद्य बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। शुरुआती चरण में ब्रांड के तहत कुत्तों के लिए खाद्य उत्पाद बाजार में उतारे गए हैं। कंपनी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत में पालतू पशुओं को परिवार का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी लोग अपने पालतू पशुओं के भोजन, स्वास्थ्य और पोषण पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते पेट फूड, ग्रूमिंग, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य संबंधित उत्पादों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। विप्रो कंज्यूमर केयर इसी बढ़ती मांग को देखते हुए अपने नए ब्रांड के जरिए बाजार में हिस्सेदारी बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, 'स्नगल्स' के तहत फिलहाल कुत्तों के लिए खाद्य उत्पाद पेश किए गए हैं। इन उत्पादों को पालतू पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। कंपनी का कहना है कि उत्पादों के विकास में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को शामिल किया गया और देश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में इनका परीक्षण भी किया गया है। कंपनी का दावा है कि उत्पाद तैयार करते समय केवल स्वाद या बाजार की मांग को ही ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि कुत्तों की पोषण संबंधी जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पालतू पशुओं के लिए भोजन का चुनाव करते समय उनके आकार, उम्र, गतिविधि और स्वास्थ्य जैसी जरूरतें महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की मदद से तैयार किए गए उत्पादों के जरिए कंपनी इस बाजार में एक भरोसेमंद ब्रांड की पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। भारत में पेट फूड बाजार का आकार भी इस क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी के अनुसार, देश में पालतू पशुओं का खाद्य बाजार 5,500 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। बदलती जीवनशैली, शहरीकरण, पालतू पशुओं को लेकर बढ़ती भावनात्मक निकटता और उनकी देखभाल के प्रति जागरूकता ने इस बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले वर्षों में भी इस क्षेत्र में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का विस्तार कर रही हैं। 'स्नगल्स' को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों वितरण माध्यमों का सहारा लेने की योजना बनाई है। कंपनी के मुताबिक, उत्पाद पालतू पशुओं की दुकानों, पशु चिकित्सालयों, आधुनिक खुदरा दुकानों, ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इससे ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद खरीदने का विकल्प मिलेगा। खास तौर पर ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव ने पेट फूड बाजार को नया आकार दिया है। अब पालतू पशुओं के लिए भोजन और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए ग्राहकों को केवल विशेष दुकानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कई तरह के उत्पाद घर तक पहुंचाए जा सकते हैं। कंपनी का व्यापक वितरण नेटवर्क 'स्नगल्स' को अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग-इंडिया में खाद्य कारोबार के अध्यक्ष अनिल चुग ने कहा कि कंपनी पालतू पशुओं के पोषण और उत्पादों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगी।

# महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने भावनगर मंडल में रेलवे अस्पताल, वर्कशॉप, मंडल कार्यालय एवं भावनगर टर्मिनस स्टेशन का किया विस्तृत संरक्षा एवं यात्री सुविधा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने अपने भावनगर मंडल प्रवास के दौरान 26 अगस्त को भावनगर मंडल के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं स्टेशनों का विस्तृत संरक्षा एवं यात्री सुविधा निरीक्षण किया। इस अवसर पर भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अपने निरीक्षण दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने सर्वप्रथम भावनगर परा स्थित मंडल रेलवे अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में किए गए पुनर्विकास कार्यों एवं उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से विभिन्न नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने रिसेप्शन, होम्योपैथी ओपीडी एवं शिशु वार्ड (Paediatric Ward) का उद्घाटन किया। साथ ही अस्पताल में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम को भी विधिवत कमीशन किया गया। इन सुविधाओं के शुरू होने से रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

इसके पश्चात महाप्रबंधक ने मेडीकल कॉलोनी में नये बने बाल उद्यान का उदघाटन किया। महाप्रबंधक महोदय ने बाल उद्यान को उदघाटन के लिए बांधे गये लाल फीते को वहां उपस्थित बच्चों से कटवाकर उसका उदघाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडीकल कॉलोनी में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की एवं रेलवे क्वार्टर में रेलवे की तरफ से मिल रही सुविधाओं को जाना। उन्होंने मेडीकल कॉलोनी परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का संदेश दिया।

इसके पश्चात महाप्रबंधक ने भावनगर मंडल कार्यालय का निरीक्षण किया तथा मंडल के सभी शाखाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मंडल की वर्तमान कार्यप्रणाली, भविष्य की योजनाओं एवं विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने महाप्रबंधक को भावनगर मंडल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं तथा अमृत स्टेशन स्कीम योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे स्टेशनों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सभी शाखाधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में किए जा रहे सुधारात्मक एवं महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। इसके बाद महाप्रबंधक ने भावनगर परा स्थित ब्रॉडगेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्कशॉप में व्हील शॉप, एलएचबी इलेक्ट्रीकल शॉप, रिहैब शॉप, न्यू फाइनल शॉप इत्यादि का संरक्षा के दृष्टिकोण से विस्तृत एवं बारिकी से संरक्षा निरीक्षण किया। उन्होंने वर्कशॉप के अधिकारियों के साथ बैठक कर वहां किए जा रहे विभिन्न कार्यों एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली तथा वर्कशॉप की कार्यक्षमता एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा, मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री राकेश कुमार खराडी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

महाप्रबंधक ने इसके पश्चात भावनगर टर्मिनस स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग, नये बन रहे पीट लाइन, स्टेशन पुनर्विकास इत्यादि कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत निरीक्षण किया तथा यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर सेवा के दृष्टिगत आवश्यक सुविधाओं में और वृद्धि करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर महाप्रबंधक ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रियों को उत्कृष्ट, सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।

पश्चिम रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक, स्वच्छ, सुगम एवं विश्वस्तरीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ माल परिवहन सेवाओं को अधिक सक्षम, विश्वसनीय एवं ग्राहक-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। महाप्रबंधक का यह एक दिवसीय निरीक्षण दौरा भावनगर मंडल में संरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, स्टेशन सुविधाओं के उन्नयन तथा यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।